न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
राजस्व वाद संख्या 41/2016

श्रीमती सावित्री जोजे देवीसिंह जी आयु 74 साल जाति रावत निवासी गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0

......................वादिया

बनाम

1. श्री रणजीतसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
2. श्री भंवरसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
3. श्री जसवन्तसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
4. श्री आनन्दसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
5. श्री अमरसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
6. मोहनी बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
7. शान्ति बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
8. कमला बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
9. सुमित्रा बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
10. बरदी पत्नि स्व. सुखरामसिंहजी

    प्रतिवादी संख्या 1 से 10 बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. सुखरामसिंहजी वल्द गोपालसिंहजी जाति रावत निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमे राज0

11. लक्ष्मणसिंह बालिग पुत्र गोपालसिंह
12. रामकृपाल बालिग पुत्र गोपालसिंह

    जाति रावत निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 ।

13. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार ब्यावर
14. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक ब्यावर

.................प्रतिवादीगण

15. कानसिंह बालिग पुत्र दौलाजी
16. लालसिंह बालिग पुत्र दौलाजी
17. हुकमसिंह बालिग पुत्र उदौलाजी
18. सायरी पुत्री दौलाजी
19. नैनी पत्नि दौलाजी
20. प्रभु वल्द कालूजी

    समस्त जाति रावतान निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 ।

.................तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राज. काश्त. अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधि0

निर्णय दिनांक 06-03-2018

वादिया ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि हाल खसरा संख्या 1634 रकबा 02–04–00 किस्म बा03 तथा खसरा संख 1636 रकबा 00–16–10 किस्म बा02 भूमि वाकै गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सहित खसरा संख्या 1631 की यह आराजी आपसी विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज सुखरामसिंह व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के हिस्से व कब्जे में आई थी व उनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार काश्तकार तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ अंकित थे, इसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज सुखरामसिंह व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 ने वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की वादिया को बता कर वादिया को बहुमूल्य प्रतिफल के बदले बजरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 29.12.1979 को बेचान कर उसी दिवस को कब्जा वाकई वादिया को सम्भला दिया व तभी से वादग्रस्त आराजी पर वादिया काबिज काश्त सभी की पूर्ण व पर्याप्त जानकारी में खुलमखुला चली आ रही है तथा

......................लगातार

W
...रिया

अधि. एवं सहा. ...

आज भी वादिया ही काबिज काश्त है व हाल की फसल भी उसी ने काश्त की है। वादिया द्वारा उपरोक्त आराजी क्रय किये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित कराने के लिय मूल बेचाननामा दिनांक 29.12.1979 की सही प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को दे दी थी एवं इस सद्विश्वास में रही कि उसका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जायेगा किन्तु वादिया का नाम खसरा संख्या 1631 में तो बतौर खातेदार काश्तकार अंकित कर दिया किन्तु वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण वादिया के नाम अंकित नहीं हो सका। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की नियत खराब है एवं वे अपने साथ दो तीन व्यक्तियों को लेकर एक राय होकर वादग्रस्त आराजी पर आये और जबरन कब्जा करना चाहा किन्तु वादिया व अन्य मौजिज लोगों ने उन्हें कब्जा नहीं करने दिया। अपने रिश्तेदार के मार्फत 03–03–2016 को राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि वादिया द्वारा खरीद की गई आराजी का नामान्तरकरण वादिया के नाम अंकित नहीं हुआ है वादिया ने प्रतिवादी संख्या 13 व उसके अधीनस्थ हल्का पटवारी से दिनांक 13.06.2016 को प्रार्थना की, कि पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण वादिया के नाम खोले, किन्तु उन्होंने बिना न्यायिक आदेश के नामान्तरकरण खोलेन में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अतः प्रस्तुत वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः यह घोषित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी की वादिया सद्भाविक क्रेता है तथा उसको वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। किन्ही कारणों से यदि न्यायालय वादिया को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी बाबत् खातेदार काश्तकार घोषित न कर सके तो वादिया को सुखरामसिंह वल्द गोपालसिंह की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व प्रतिवादी संख्या 11 व12 के स्थान पर उनका जो भी हक हिस्सा बनता हो, के स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये व परिणाम स्वरूप प्रवितादी संख्या 1 से 12 का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया जाकर वादिया का नाम अंकित किया जाय। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 स्वयं उसके नौकार चाकर हाल एजेन्ट कोई भी व्यक्ति वादग्रस्त आराजी में वादिया के सुस्थापित कब्जे से उसे बेदखल नहीं करे व न ही करावे। अन्य अनुतोष जो वादिया के हित में हो प्रदान किया जाय।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार गौड ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उत्तरदाता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 ने वादपत्र की स्वीकारोक्ति होना पाया गया।

वादिया की ओर साक्ष्य का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी पेश हुआ जिसमें वादिया के कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे। स्वतंत्र गवाह श्री मिठुसिंह पुत्र श्री गिरधारी जाति रावत निवासी गोहाना तथा श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति रावत निवासी गांव गोहाना ने साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर वादिया के कथनों की पुष्टि की।

तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक भूअ/2017/320 दिनांक 18.01.2018 में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 02.01.2018 में अंकित किया है कि जमाबन्दी चौसाला अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार रणजीतसिंह, भंवरसिंह, जसवन्तसिंह, आनन्दसिंह, अमरसिंह पि0 सुखरामसिंह, मोहनी शान्ति कमला सुमित्रा पुत्रियां सुखरामसिंह, मु. बिरदी बेवा सुखराम हि. 1/6, कानसिंह लालसिंह हुकमसिंह पि. दौला, सायरी पुत्री दौला, नैनी पत्नि दौसा हि.1/4 प्रभु वल्द कालू हि.1/4 कौम रावत सा.देह खातेदार दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी के समक्ष उपरोक्त खसरा नम्बरान का मौका जांच किया गया, मौके पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने बताया कि खसरा संख्या 1631, 1634, 1636 कित्त–3 रकबा 03–10 बीघा पर वादी सावित्री जोजे दवीसिंह कौम रावत का ही कब्जा है। प्रतिवादीगण ने बताया कि सुखरामसिंह वल्द गोपालसिंह ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त खसरा नम्बर का बेचान कर दिया था था, तब से आदिनांक तक वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त तथ्य पटवारी हल्का गोहाना व भू–अभिलेख निरीक्षक नरबदखेड़ा ने मौका पर्चा में अंकित किये।

................लगातार

पीयूष समरिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा वादग्रस्त आराजियात में वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रदर्श–1 पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 29.12.1979 में श्री सुखरामसिंह वल्द गोपालसिंह जाति रावत निवासी गोहाना तहसील ब्यावर खुद व वली नाबालिग भाई लक्ष्मणसिंह, रामकृपालसिंह पि. गोपालसिंह जाति रावत ने मौजा गोहाना के खसरा संख्या 1631 रकबा 00–09–10, 1634 रकबा 02–04–00 व 1636 रकबा 00–16–10 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 03–10–00 पूरा रकबा बएवज प्रतिफल श्रीमति सावित्री जोज देवीसिंह रावत साकिन गोहाना तहसील ब्यावर को बेचान कर कब्जा खरीददारिया का कराया जाना अंकित है। प्रदर्श–2 ग्राम गोहाना की जमाबन्दी संवत् 2069–72 है जिसके खाता संख्या 495 में अंकित वादग्रस्त खसरा संख्या 1634 रकबा 02–04–00 किस्म बारानी–3 तथा खसरा संख्या 1636 रकबा 00–16–10 किस्म बारानी–2 अन्य खसरान् के साथ प्रतिवादीगण रणजीतसिंह, भंवरसिंह, जसवन्तसिंह, आनन्दसिंह, अमरसिंह पि0 सुखरामसिंह, मोहनी शान्ति कमला सुमित्रा पुत्रियां सुखरामसिंह, मु. बिरदी बेवा सुखराम हि.1/6, लक्ष्मण वल्द गोपाल हि.1/6, रामकृपाल वल्द रामदयाल हि. 1/6, कानसिंह लालसिंह हुकमसिंह पि. दौला, सायरी पुत्री दौला, नैनी पत्नि दौसा हि.1/4 प्रभु वल्द कालू हि.1/4 कौम रावत सा.देह खातेदार दर्ज है। वादिया ने अपने वादपत्र में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

उक्त राजस्व अभिलेखों में ग्राम गोहाना के वादग्रस्त खसरा संख्या 1634 रकबा 02–04–00 किस्म बारानी–3 तथा खसरा संख्या 1636 रकबा 00–16–10 किस्म बारानी–2 में पंजीकृत बेचाननामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के स्थान पर एकमात्र वादिया का नाम दर्ज होना चाहिये। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 ने अपने प्रतिवादपत्र में वादिया के पक्ष में वादपत्र अनुसार वाद डिक्री किये जाने की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोहाना के खसरा संख्या 1634 रकबा 02–04–00 किस्म बारानी–3 तथा खसरा संख्या 1636 रकबा 00–16–10 किस्म बारानी–2 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के हक हिस्से तक वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेखों में पृथक से खाता कायम कर उक्त दोनों खसरान् में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के स्थान पर वादिया का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा उक्त खसरान् में अन्य सहखातेदारान बदस्तूर रहेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 व 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिया के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें तथा पूर्व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान/हस्तान्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06-03-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 41/2016

श्रीमती सावित्री जोजे देवीसिंह जी आयु 74 साल जाति रावत निवासी गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0

.......................वादिया

बनाम

1. श्री रणजीतसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
2. श्री भंवरसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
3. श्री जसवन्तसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
4. श्री आनन्दसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
5. श्री अमरसिंह बालिग पुत्र सुखरामसिंहजी
6. मोहनी बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
7. शान्ति बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
8. कमला बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
9. सुमित्रा बालिग पुत्री सुखरामसिंहजी
10. बरदी पत्नि स्व. सुखरामसिंहजी
    प्रतिवादी संख्या 1 से 10 बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. सुखरामसिंहजी वल्द गोपालसिंहजी जाति रावत निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमे राज0
11. लक्ष्मणसिंह बालिग पुत्र गोपालसिंह
12. रामकृपाल बालिग पुत्र गोपालसिंह
    जाति रावत निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 ।
13. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार ब्यावर
14. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक ब्यावर

.................प्रतिवादीगण

15. कानसिंह बालिग पुत्र दौलाजी
16. लालसिंह बालिग पुत्र दौलाजी
17. हुकमसिंह बालिग पुत्र उदौलाजी
18. सायरी पुत्री दौलाजी
19. नैनी पत्नि दौलाजी
20. प्रभु वल्द कालूजी
    समस्त जाति रावतान निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 ।

.................तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राज. काश्त. अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधि0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.........मिनजामिन मुददई रूबरू.............मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोहाना के खसरा संख्या 1634 रकबा 02–04–00 किस्म बारानी–3 तथा खसरा संख्या 1636 रकबा 00–16–10 किस्म बारानी–2 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के हक हिस्से तक वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेखों में पृथक से खाता कायम कर उक्त दोनों खसरान् में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के स्थान पर वादिया का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा उक्त खसरान् में अन्य सहखातेदारान बदस्तूर रहेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 व 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिया के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें तथा पूर्व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान/हस्तान्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

..............लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

श्रीमती सावित्री बनाम श्री रणजीतसिंह व अन्य

राजस्व वाद संख्या 41/2016

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निजी..................मुबलिक...................बाबत................खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06–03–2018 को जारी किया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		**जोड़**	

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर